पत्र सं०–6 एस०एस०(6)75 / 2025–564 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–03 / 02 / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 684.25 लाख (रुपये छः करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार) मात्र की लागत व्यय पर विक्रमशीला दुग्ध संघ, भागलपुर डेयरी संयंत्र के उपकरणों का उन्नयन, सुधार एवं समन्वय के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 684.25 लाख (रुपये छः करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार) मात्र की लागत व्यय पर विक्रमशीला दुग्ध संघ, भागलपुर डेयरी संयंत्र के उपकरणों का उन्नयन, सुधार एवं समन्वय के स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. भागलपुर डेयरी की प्रसंस्करण क्षमता 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन है, परन्तु उपकरणों के समुचित समन्वय के अभाव में उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई आवश्यक उपकरण अनुपस्थित / अपरिचलित होने के कारण उत्पादित दुग्ध की गुणवत्ता में समस्या आती है, जिसका सम्पूर्ण नवीकरण करने से संयंत्र को सुचारू ढ़ंग से चलाया जा सकता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार एवं परिचालन लागत में कमी सुनिश्चित हो सकेगी।

3. इस योजना के तहत संयंत्र उन्नयन एवं समन्वय हेतु निम्नवत कार्य किये जायेंगे :–

(i) आधुनिक सी०आई०पी० प्रणाली की स्थापना की जायेगी।

(ii) शीतलन संयंत्र में सुधार एवं पुराने सिस्टम के साथ समन्वय किया जायेगा।

(iii) नियंत्रण संचालन हेतु स्टैंडबाई ट्रांसफार्मर का ऊर्जीकृत किया जायेगा।

(iv) नया क्रेटवॉशर मशीन, मिल्क पैकेजिंग मशीन तथा अन्य सहायक उपकरणों की खरीद एवं स्थापना की जायेगी।

4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी संयंत्र की क्षमता का विकास करना है, जिससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगी। साथ ही बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पाद यथा– दही, पनीर, खोआ, मिठाई इत्यादि का उत्पादन किया जा सकेगा। नया पैकिंग मशीन लगाने से अधिक सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से उत्पाद पैक किया जायेगा। आधुनिक सी०आई०पी० प्रणाली की स्थापना करने से डेयरी प्लांट की स्वच्छता में सुधार होगी, जिससे गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी।

5. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं उक्त राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

8. मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

10. दिनांक–15.12.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस० (6)75/2025 के पृष्ठ 40–39/प०.

11. दिनांक–26.12.2025 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)75/2025 के पृष्ठ 50–49/प०.

12. चूँकि यह योजना राज्य योजना के तहत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से अधिक एवं रुपये 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)75/2025 के पृष्ठ–09/टि०, दिनांक–20.01.2026.

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)75/2025 के पृष्ठ–09/टि० तथा डायरी सं०–शून्य, दिनांक–29.12.2025.

14. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

2/2/26

(गीता सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025–564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/26

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025–564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/26

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025–564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/26

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025– 564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025– 564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025– 564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)75/2025– 564 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी

राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 684.25 लाख (रुपये छः करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार) मात्र की लागत व्यय पर विक्रमशीला दुग्ध संघ, भागलपुर डेयरी संयंत्र के उपकरणों का उन्नयन, सुधार एवं समन्वय की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

विपत्र कोड	योजना विवरणी	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025–26	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	2	3	4	5	6
विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.06 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	डेयरी संयंत्र के उपकरणों का उन्नयन एवं समन्वय	1	302.50	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	डेयरी संयंत्र के उत्पाद ब्लॉक का निर्माण	1	381.75		
		कुल :–	684.25		

(रुपये छः करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार)

564
03/02/26

02/2/26

सरकार के विशेष सचिव